

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 36 / 2026

मोकामा थाना कांड संख्या 137 / 2025

अन्तर्गत धारा-115(2), 118(2), 303(2), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस

02.04.2026

आवेदक अभियुक्त-1. पलटन बिंद उर्फ घसोटन बिंद की ओर से एक आवेदन दाखिल कर उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। इस वाद में अनुसंधान समाप्त हो चुका है और आरोप-पत्र समर्पित किया जा चुका है एवं धारा-35(5) बीएनएस के अंतर्गत आवेदक को बंध-पत्र पर मुक्त कर दिया गया है। अतः, ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाए। अभियोजन को आवेदन की वापसी से कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों को सुना। आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की वापसी लेने की अनुमति प्रदान हुए 1. पलटन बिंद उर्फ घसोटन बिंद का अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

लेखापित/शुद्धित

Sd/-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़